

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद


क्रमांक : 02

दिनांक : 29.04.2024

-: वाहन किराये पर लेने की सूचना :-

इस विभाग में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द के लिये 01 वाहन किराये पर लिये जाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी व्यक्ति वाहन स्वामी/ठेकेदार/फर्म से संलग्न प्रारूप में व शर्तों तथा शरायतों के अध्यक्षीन मोहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

पूर्णरूप से भरे हुए सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 06.05.2024 को प्रातः 10.00 बजे तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर सेंटर), राजसमन्द के कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। प्रस्ताव पत्र का प्रारूप व शर्तें एवं शरायतें जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/rajsamand> तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट www.rlsa.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।


अध्यक्ष,

उपापन समिति,
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
राजसमंद

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा./2024/1737-1739

दिनांक : 29-04-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

01. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सादर प्रेषित है।
02. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
03. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद
04. कार्यालय प्रति।


अध्यक्ष,

उपापन समिति,
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
राजसमंद

"Help The Needy - Timely Help May Create"